



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा

Executive Engineer, PWD, Almora Uttarakhand

Phone/ Fax:- 05962-23003

E-mail: eepdalmora@rediff.com

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd



पत्रांक 627/50सी

दिनांक 4

फरवरी 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

चम्पावत वन प्रभाग,

चम्पावत

विषय: जनपद अल्मोड़ा में राज्य योजना के अन्तर्गत ज्वारनैणी से बुकसाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.8338 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 8बी०/यू०सी०पी०/०६/६१/२०१५/एफ०सी०/१५२५ दिनांक ०८.१०.२०१५ व कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून का पत्र सं० 1153/FP/UK/ROAD/9552/2015 दिनांक १५ अक्टूबर २०१५

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत है।

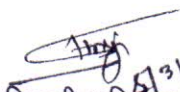
1. शर्त संख्या-१ के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित ९.६६७६ या ९.७०० है० ग्राम-मल्ला भट्यूड़ा (१.७३३ है०), पजैना (२.०७० है०), उड़ियारी (२.०८९ है०) एवं चिरातिनमिना (१.८०८ है०) सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रख-रखाव हेतु देय धनराशि रु २०,२४,०६७.०० (रु बीस लाख चौबीस हजार सड़सठ) मात्र उत्तराखण्ड कैम्पा के पक्ष में कॉरपोरेशन बैंक, बैंगलौर में जमा की जा चुकी है (जमा की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु चालान की छाया प्रति संलग्न है।)।
- 1.1 भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-१ के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम-मल्ला भट्यूड़ा (१.७३३ है०), पजैना (२.०७० है०), उड़ियारी (२.०८९ है०) एवं चिरातिनमिना (१.८०८ है०) जिसका क्षेत्रफल ९.७०० है० है, को जिलाधिकारी अल्मोड़ा के आदेश सं० ३३३१/ग्यारह-३८/२०१५-१६, दिनांक २३ फरवरी, २०१६ के क्रम में वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में नामान्तरित की जा चुकी है (आदेश की प्रति संलग्न है।)। प्रभागीय वनाधिकारी उक्त भूमि को अपने कब्जे में लिये जाने का प्रमाण पत्र अपने स्तर से नोडल कार्यालय देहरादून को उपलब्ध कराने की कृपा करें।
2. शर्त संख्या-२ के अनुपालन में एन०पी०वी० की धनराशि रु ३१,७५,८०७.०० (रु इकतीस लाख पचहत्तर हजार आठ सौ सात) मात्र उत्तराखण्ड कैम्पा के पक्ष में कॉरपोरेशन बैंक, बैंगलौर में जमा की जा चुकी है (जमा की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु चालान की छाया प्रति संलग्न है।)।
3. बिन्दु सं० ३ के क्रम में एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण व मार्ग के दोनों ओर खाली पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण की देय धनराशि ऑनलाईन चालान जनरेट कर उत्तराखण्ड कैम्पा के पक्ष में कॉरपोरेशन बैंक, बैंगलौर में जमा की जा चुकी है (जमा की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु चालान की छाया प्रति संलग्न है।)।
4. शर्त संख्या-३ के अनुपालन में एन०पी०वी० की दरों में बढोत्तरी होने पर धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धित बचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।
5. शर्त संख्या-४ के अनुपालन में देय धनराशियों को अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी नोडल अधिकारी, देहरादून के पत्रांक २०९०/एफ०पी०/यू०के०/रोड/१०४८०/२०१५ देहरादून दिनांक २० जनवरी २०१६ के निर्देशानुसार ऑनलाईन चालान जनरेट कर चालान में उल्लिखित कॉरपोरेशन बैंक बैंगलौर में उत्तराखण्ड कैम्पा के पक्ष में जमा किया जा चुका है (जमा की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु चालान की छाया प्रति संलग्न है।)।
6. बिन्दु सं० ५ के अनुपालन में सड़क के दोनों किनारों (जहाँ संभव हो) में वृक्षारोपण करने सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है।

सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों के सन्दर्भ में निदेशक, पर्यावरण, वन एवं मौसम परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र सं० 11-306/2014-FC दिनांक 08 अगस्त, 2014 एवं अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन का पत्र सं० 4949/111(2)14-03(सामान्य)/2008 टी०सी०, देहरादून दिनांक 08 सितम्बर 2014 के क्रम में यह दिशा निर्देश दिये गये हैं, कि जिन प्रकरणों में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी है और एन०पी०वी० आदि देयकों के भुगतान सहित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि का नामान्तरण हो चुका है, उन मामलों में विधिवत स्वीकृति की प्रतीक्षा किये बिना पेड़ों का छपान/कटान कराया जा सकता है और मौके पर कार्य भी प्रारम्भ किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि मार्ग में विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने के साथ ही साथ मार्ग में प्रभावित वृक्षों का छपान/कटान एवं मार्ग निर्माण करने की अनुमति प्रदान करने हेतु नोडल अधिकारी देहरादून को लिखने की कृपा करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार 3-3 प्रतियों में।

भवदीय


अधिसासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

पत्रांक:-

/

तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फौरस्ट कालौनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अधिसासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

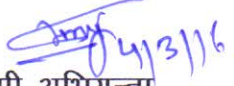
परियोजना का नाम—जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा जागेश्वर के अंतर्गत ज्वारनैणी से बुकसाड़ मोटर मार्ग लम्बाई— 10.00 कि०मी०

एन०पी०वी० की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।




सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

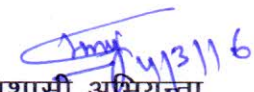
परियोजना का नाम—जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा जागेश्वर के अंतर्गत ज्वारनैणी से बुकसाड़ मोटर मार्ग लम्बाई— 10.00 कि०मी०

मार्ग के दोनों किनारों पर(जहाँ सम्भव हो) वृक्षारोपण किये का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा **Cental Verge** पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में **strip plantation** की जायेगी।



सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 11-02-2016

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	ROAD95522015732
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division P.W.D., AlmoraAlmora
Amount(in Rs)	8420894/-

Amount in Words : Eighty-Four Lakh Twenty Thousand Eight
Hundred and Ninety-Four Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following
details;**

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15089ROAD95522015732
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore 21/1, 3rd floor Jellita Towers Mission Road Bangalore -560027

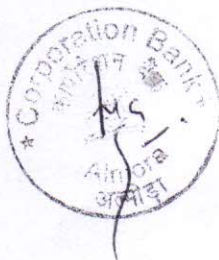
- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Print

Pif NO. ROAD95522015732

Pif dt. 26/02/2016.

Days - 1



आदेश

जनपद अल्मोड़ा के अर्न्तगत प्रस्तावित ज्वाड़नैणी-बुकसाड़ मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 4.8338 हैक्टर वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में नामान्तरित किये जाने के संबंध में कार्यालय तहसीलदार, जैती के पत्रांक मैमो/र०का०/2015-16, दिनांक 01-12-2015 के द्वारा याचक विभाग को प्रेषित की गई आख्या एवं उप जिलाधिकारी, जैती/भनोली के पत्र संख्या मैमो/वनभूमि/र०का०/2015, दिनांक 06-02-2016 के द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव में उक्त प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक-वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित की गई भूमि के अभिलेखों जिसमें प्रस्तावित मार्ग के निर्माण के संबंध में संलग्न शासन द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, तहसीलदार जैती की रिपोर्ट एवं उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित की गई भूमि की खतौनी, प्रति तथा प्रस्तावित की गई भूमि का मौका नक्शा एवं उक्त प्रयोजन हेतु प्राप्त आख्या व अभिलेखों के आधार पर निम्नवत राजस्व ग्रामों में क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु भूमि प्रस्तावित की गयी है:-ग्राम-उडियारी, पटवारी क्षेत्र-गणाऊँ, तहसील-जैती के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-41 की श्रेणी-9(3)ड " बंजर काबिल आबाद " के पैमायसी खेत न० 2788 म०-0.247 है०, खेत न० 2790 रक्वा-0.092 है०, खेत न० 2792 रक्वा-0.032 है०, खेत न०-2797 रक्वा-0.085 है०, खेत न०-2799 रक्वा-1.633 है०, इस प्रकार कुल-2.089 हैक्टर तथा ग्राम-चिरातिनगिना, पटवारी क्षेत्र-गणाऊँ, तहसील-जैती के खतौनी खाता संख्या-23 की श्रेणी-9(3)ड " बंजर काबिल आबाद " के पैमायसी खेत न० 431 म०-0.017 है०, खेत न० 434 रक्वा-0.092 है०, खेत न० 436 रक्वा-0.210 है०, खेत न०-438 रक्वा-0.087 है०, खेत न०-440 म०-0.266 है०, खेत न० 442 रक्वा-0.207 है०, खेत न० 449 रक्वा-0.070 है०, खेत न० 453 रक्वा-0.016 है०, खेत न०-455 रक्वा-0.208 है०, खेत न०-461 म०-0.180 है०, खेत न० 472 म०-0.016 है०, खेत न० 485 रक्वा-0.011 है०, खेत न० 514 रक्वा-0.071 है०, खेत न०-516 रक्वा-0.010 है०, खेत न०-522 म०-0.147 है० इस प्रकार कुल-1.808 हैक्टर एवं ग्राम-पजैना, पटवारी क्षेत्र-बकस्वाड़, तहसील-जैती के खतौनी खाता संख्या-21 की श्रेणी-9(3)ड " बंजर काबिल आबाद " के पैमायसी खेत न० 3151 म०-0.550 है०, खेत न० 3152 रक्वा-0.360 है०, खेत न० 3156 रक्वा-0.073 है०, खेत न०-3160 मध्ये-0.080 है०, खेत न०-3168 रक्वा-0.035 है०, खेत न० 3180 रक्वा-0.011 है०, खेत न० 3174 रक्वा-0.043 है०, खेत न० 3209 रक्वा-0.030 है०, खेत न० 3211 मध्ये-0.340 है०, खेत न० 3212 रक्वा-0.160 है०, खेत न० 3217 रक्वा-0.088 है०, खेत न० 3187 रक्वा-0.300 है०, इस प्रकार कुल-2.070 हैक्टर तथा ग्राम-मल्ला-भटयूड़ा, पटवारी क्षेत्र-जैती, तहसील-जैती के खतौनी खाता संख्या-28 की श्रेणी-9(3)ड " बंजर काबिल आबाद " के पैमायसी खेत न० 2346 रक्वा-2.365 है०, खेत न० 2227 रक्वा-1.368 है०, कुल-3.733 हैक्टर इस प्रकार उक्त प्रयोजन हेतु कुल-9.700 हैक्टर सिविल भूमि को क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार, जैती कृ० तदनुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(सविन बंसल)

जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

संख्या 3331 / ग्यारह-38 / 2015-16, दिनांक 22, फरवरी, 2016

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा ।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
- 3- उप जिलाधिकारी, जैती/भनोली, जनपद-अल्मोड़ा ।
- 4- तहसीलदार, जैती को उपरोक्तानुसार अनुपालन किये जाने हेतु ।

प्रभारी अधिकारी,
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

कार्यालय तहसीलदार जैती।

संख्या मैमो /र0का0/2015-16

दिनांक 01 दिसम्बर 2015

सेवा में,

अधिकांसी अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड,

लो0 नि0 वि0 अल्मोडा।

विषय-

अल्मोडा जनपद में ज्वारनैडी -बुकस्वाड मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.700हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण की भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/ नामान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त अपने कार्यालय पत्र संख्या 3069/50सी दिनांक 27-11-2015, जो जिलाधिकारी, महोदय अल्मोडा को सम्बोधित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त क्रम में क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षकों से जाँच करायी गयी। सम्बन्धित क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षकों की जाँच आख्यानसार ग्राम उडियारी, चिरातिनमिना, पजैना तथा मल्ला भट्यूडा के गैर जमींदारी खतौनी के श्रेणी 9(3)इ0 (ब0का0आ0) के निम्नानुसार खेत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किये गये हैं।

ग्राम का नाम	खता संख्या	खेत संख्या	कुल क्षेत्रफल (हे0 में)	लिया गया क्षेत्रफल (हे0 में)
उडियारी	41	2788 म0	0.247	0.247
उडियारी	41	2790	0.092	0.092
उडियारी	41	2792	0.032	0.032
उडियारी	41	2797	0.085	0.085
उडियारी	41	2799	1.633	1.633
योग		5	2.089	2.089
चिरातिनमिना	23	431	0.017	0.017
चिरातिनमिना	23	434	0.292	0.292
चिरातिनमिना	23	436	0.210	0.210
चिरातिनमिना	23	438	0.087	0.087
चिरातिनमिना	23	440 म0	0.266	0.266
चिरातिनमिना	23	442	0.207	0.207
चिरातिनमिना	23	449	0.070	0.070
चिरातिनमिना	23	453	0.016	0.016
चिरातिनमिना	23	455	0.208	0.208
चिरातिनमिना	23	461	0.180	0.180
चिरातिनमिना	23	472	0.016	0.016
चिरातिनमिना	23	485	0.011	0.011
चिरातिनमिना	23	514	0.071	0.071
चिरातिनमिना	23	516	0.010	0.010
चिरातिनमिना	23	522	0.147	0.147
योग		15	1.808	1.808
पजैना	21	3151	0.565	0.550
पजैना	21	3152	0.373	0.360
पजैना	21	3156	0.073	0.073
पजैना	21	3160	0.081	0.080
पजैना	21	3168	0.035	0.035
पजैना	21	3180	0.011	0.011
पजैना	21	3174	0.043	0.043
पजैना	21	3209	0.030	0.030
पजैना	21	3211	0.373	0.340
पजैना	21	3212	0.160	0.160
पजैना	21	3217	0.088	0.088
पजैना	21	3187	0.313	0.300
योग		12	2.145	2.070
मल्ला भट्यूडा	28	2346	2.365	2.365
मल्ला भट्यूडा	28	2227 म0	1.368	1.368
योग		2	3.733	3.733
सम्पूर्ण योग		34	9.775	9.700

तहसीलदार
जैती